

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
/ / आदेश / /

रायपुर, दिनांक 07/02/2013

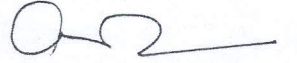
क्र. 509 /स्था./सा.प्रशा./13

विभागीय चयन समिति की अनुशंसानुसार श्री कपिल भट्ट, पिता- श्री मुकेश भट्ट (अनारक्षित वर्ग) को पंपमेन अटेंडेंट के पद पर पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में वेतनमान रु.5200-20200/- + 1300/- ग्रेड वेतन के वेतन बैंड 4750/- + ग्रेड वेतन 1300/- प्रतिमाह पर तथा समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत अन्य भत्तों पर अस्थायी तौर पर उन्हें कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त किया जाता है एवं विश्वविद्यालय के यांत्रिकी विभाग में पदस्थ किया जाता है।

यह नियुक्ति अनन्तिम (Provisonal) है तथा उम्मीदवार के चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है। यदि सत्यापन के पश्चात् उम्मीदवार द्वारा उनसे संबंधित जानकारी गलत पाई जाती है एवं उम्मीदवार सत्यापन के आधार पर सेवा के अयोग्य पाया जाता है, तो उसे सेवा से बिना किसी पूर्व सूचना के पृथक किया जावेगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय दंड विधान के प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही की जावेगी।

छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं योजना विभाग के पत्र क्र. 977/सी-761/वि./नि./चार/04 दिनांक 27.10.2004 के अनुरूप उन्हें अंशदायी पेंशन योजना की पात्रता होगी। उन्हें सामान्य भविष्य निधि एवं विभागीय भविष्य निधि में सदस्यता की पात्रता नहीं होगी।

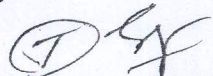
आदेशानुसार

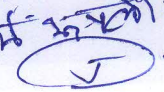

(के.के. चद्राकर)
कुलसचिव

रायपुर, दिनांक 07/02/2013

पृ. क्र. 510 /स्था./सा.प्रशा./13
प्रतिलिपि :-

1. श्री कपिल भट्ट, पिता- श्री मुकेश भट्ट, द्वारा- श्रीमती श्यामा देवी महंत, वार्ड नं.-15, रेल्वे बंगला पारा, विवेकानंद स्कूल गली, कोतरा रोड, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) 496001 को इस निर्देश के साथ कि वे 15 दिवस के भीतर समस्त मूल प्रमाण-पत्रों एवं सिविल सर्जन के स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र के साथ पदभार ग्रहण करें।
2. प्रभारी, यांत्रिकी विभाग को इस निवेदन के साथ अग्रेषित कि उम्मीदवार के समस्त मूल प्रमाण-पत्रों एवं स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र के सत्यापन के पश्चात ही कार्यभार ग्रहण करावें।
3. वित्त विभाग,
4. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


उप कुलसचिव (प्रशासन)

Head SOS in compn. Sec.
मुख्य सचिव के संकेत पर

11/2/13

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

/ / आदेश / /

क्र. 508 /स्था./सा.प्रशा./13

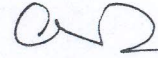
रायपुर, दिनांक 07/02/2013

विभागीय चयन समिति की अनुशंसानुसार श्री संतोष, पिता- स्व. श्री सुखारी (अनारक्षित वर्ग) को टेक्नीशियन ग्रेड-I के पद पर पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में वेतनमान रु.5200-20200/- + 1900/- ग्रेड वेतन के वेतन बैंड 5680/- + ग्रेड वेतन 1900/- प्रतिमाह पर तथा समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत अन्य भत्तों पर अस्थायी तौर पर उन्हें कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की परीक्षा अवधि पर नियुक्त किया जाता है एवं विश्वविद्यालय के यूसिक विभाग में पदस्थ किया जाता है।

यह नियुक्ति अनन्तिम (Provisonal) है तथा उम्मीदवार के चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है। यदि सत्यापन के पश्चात् उम्मीदवार द्वारा उनसे संबंधित जानकारी गलत पाई जाती है एवं उम्मीदवार सत्यापन के आधार पर सेवा के अयोग्य पाया जाता है, तो उसे सेवा से बिना किसी पूर्व सूचना के पृथक किया जावेगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय दंड विधान के प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही की जावेगी।

छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं योजना विभाग के पत्र क्र. 977/सी-761/वि./नि./चार/04 दिनांक 27.10.2004 के अनुरूप उन्हें अंशदायी पेंशन योजना की पात्रता होगी। उन्हें सामान्य भविष्य निधि एवं विभागीय भविष्य निधि में सदस्यता की पात्रता नहीं होगी।

आदेशानुसार



(के.के. चद्राकर)

कुलसचिव

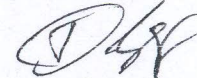


पृ. क्र. 509 /स्था./सा.प्रशा./13

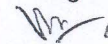
रायपुर, दिनांक 07/02/2013

प्रतिलिपि :-

1. श्री संतोष, पिता- स्व. श्री सुखारी, सड़क नं. 'जी', प्लॉट नं.-11, त्रिवेणी नगर (स्मृति नगर), भिलाई नगर, (छ.ग.) 490020 को इस निर्देश के साथ कि वे 15 दिवस के भीतर समस्त मूल प्रमाण-पत्रों एवं सिविल सर्जन के स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र के साथ पदभार ग्रहण करें।
2. विभागाध्यक्ष, यूसिक को इस निवेदन के साथ अग्रेषित कि उम्मीदवार के समस्त मूल प्रमाण-पत्रों एवं स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र के सत्यापन के पश्चात ही कार्यभार ग्रहण करावें।
3. वित्त विभाग,
4. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



उप कुलसचिव (प्रशासन)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
/ / आदेश / /

क्र. 506 /स्था./सा.प्रशा./13

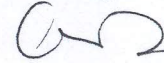
रायपुर, दिनांक 07/02/2013

विभागीय चयन समिति की अनुशंसानुसार श्री आनन्द प्रकाश तिग्गा पिता- श्री तरसीसियुस तिग्गा (अनुसूचित जनजाति वर्ग) को टेक्नीशियन ग्रेड-I के पद पर पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में वेतनमान रु.5200-20200/- + 1900/- ग्रेड वेतन के वेतन बैंड 5680/- + ग्रेड वेतन 1900/- प्रतिमाह पर तथा समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत अन्य भत्तों पर अस्थायी तौर पर उन्हें कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की परीक्षा अवधि पर नियुक्त किया जाता है एवं विश्वविद्यालय के यूसिक विभाग में पदस्थ किया जाता है।

यह नियुक्ति अनन्तिम (Provisonal) है तथा उम्मीदवार के चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में एवं छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के आदेश क्र. एफ 13-4/2006/आ.प्र./1-3, दिनांक 31 मार्च 2012 के अनुसार आदेश प्रसारित होने की तिथि से दो माह के भीतर अभ्यर्थी द्वारा जाति प्रमाण-पत्र का सत्यापन छानबीन समिति से करवाकर नियोक्ता अधिकारी को सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा। यदि सत्यापन के पश्चात् उम्मीदवार द्वारा उनसे संबंधित जानकारी गलत पाई जाती है एवं उम्मीदवार सत्यापन के आधार पर सेवा के अयोग्य पाया जाता है, तो उसे सेवा से बिना किसी पूर्व सूचना के पृथक किया जावेगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय दंड विधान के प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही की जावेगी।

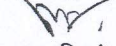
छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं योजना विभाग के पत्र क्र. 977/सी-761/वि./नि./चार/04 दिनांक 27.10.2004 के अनुरूप उन्हें अंशदायी पेंशन योजना की पात्रता होगी। उन्हें सामान्य भविष्य निधि एवं विभागीय भविष्य निधि में सदस्यता की पात्रता नहीं होगी।

आदेशानुसार



(के.के. चद्राकर)

कुलसचिव

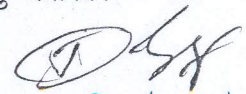


रायपुर, दिनांक 07/02/2013

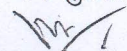
पृ. क्र. 507 /स्था./सा.प्रशा./13

प्रतिलिपि :-

1. श्री आनन्द प्रकाश तिग्गा, पिता- श्री तरसीसियुस तिग्गा, वार्ड क्र. 3/264, रामभाठा, संजय मैदान, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) 496001 को इस निर्देश के साथ कि वे 15 दिवस के भीतर समस्त मूल प्रमाण-पत्रों एवं सिविल सर्जन के स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र के साथ पदभार ग्रहण करें।
2. विभागाध्यक्ष, यूसिक को इस निवेदन के साथ अग्रेषित कि उम्मीदवार के समस्त मूल प्रमाण-पत्रों एवं स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र के सत्यापन के पश्चात ही कार्यभार ग्रहण करावें।
3. वित्त विभाग,
4. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



उप कुलसचिव (प्रशासन)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

/ / आदेश / /

क्र. 504 /स्था./सा.प्रशा./13

रायपुर, दिनांक 07/02/2013

विभागीय चयन समिति की अनुशंसानुसार श्री मनीष कुमार, पिता- श्री परदेशी लाल (अनारक्षित वर्ग) को टेक्नीशियन यूसिक के पद पर पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में वेतनमान रु.5200-20200/- + 2800/- ग्रेड वेतन के वेतन बैंड 8370/- + ग्रेड वेतन 2800/- प्रतिमाह पर तथा समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत अन्य भत्तों पर अस्थायी तौर पर उन्हें कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की परीक्षा अवधि पर नियुक्त किया जाता है एवं विश्वविद्यालय के यूसिक विभाग में पदस्थ किया जाता है।

यह नियुक्ति अनन्तिम (Provisonal) है तथा उम्मीदवार के चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है। यदि सत्यापन के पश्चात् उम्मीदवार द्वारा उनसे संबंधित जानकारी गलत पाई जाती है एवं उम्मीदवार सत्यापन के आधार पर सेवा के अयोग्य पाया जाता है, तो उसे सेवा से बिना किसी पूर्व सूचना के पृथक किया जावेगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय दंड विधान के प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही की जावेगी।

छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं योजना विभाग के पत्र क्र. 977/सी-761/वि./नि./चार/04 दिनांक 27.10.2004 के अनुरूप उन्हें अंशदायी पेंशन योजना की पात्रता होगी। उन्हें सामान्य भविष्य निधि एवं विभागीय भविष्य निधि में सदस्यता की पात्रता नहीं होगी।

आदेशानुसार



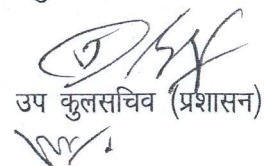
(के.के. चद्राकर)

कुलसचिव

पृ. क्र. 505 /स्था./सा.प्रशा./13
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक 07/02/2013

1. श्री मनीष कुमार, पिता- श्री परदेशी लाल, सोनी किराना दुकान, ठाकुरदेव चौक, पुरानी बस्ती, बलौदाबाजार, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.) 493332 को इस निर्देश के साथ कि वे 15 दिवस के भीतर समस्त मूल प्रमाण-पत्रों एवं सिविल सर्जन के स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र के साथ पदभार ग्रहण करें।
2. विभागाध्यक्ष, यूसिक को इस निवेदन के साथ अग्रेषित कि उम्मीदवार के समस्त मूल प्रमाण-पत्रों एवं स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र के सत्यापन के पश्चात ही कार्यभार ग्रहण करावें।
3. वित्त विभाग,
4. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



उप कुलसचिव (प्रशासन)

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
/ / आदेश / /

क्र. 502 /स्था./सा.प्रशा./13

रायपुर, दिनांक 07/02/2013

विभागीय चयन समिति की अनुशंसानुसार श्री देव कुमार किसान, पिता- श्री विदेशी किसान (अनुसूचित जनजाति वर्ग) को टेक्नीकल असिस्टेंट यूसिक के पद पर पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में वेतनमान रु.9300-34800/- + 4300/- ग्रेड वेतन के वेतन बैंड 10230/- + ग्रेड वेतन 4300/- प्रतिमाह पर तथा समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत अन्य भत्तों पर अस्थायी तौर पर उन्हें कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की परीक्षा अवधि पर नियुक्त किया जाता है एवं विश्वविद्यालय के यूसिक विभाग में पदस्थ किया जाता है।

यह नियुक्ति अनन्तिम (Provisonal) है तथा उम्मीदवार के चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में एवं छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के आदेश क्र. एफ 13-4/2006/आ.प्र./1-3, दिनांक 31 मार्च 2012 के अनुसार आदेश प्रसारित होने की तिथि से दो माह के भीतर अभ्यर्थी द्वारा जाति प्रमाण-पत्र का सत्यापन छानबीन समिति से करवाकर नियोक्ता अधिकारी को सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा। यदि सत्यापन के पश्चात् उम्मीदवार द्वारा उनसे संबंधित जानकारी गलत पाई जाती है एवं उम्मीदवार सत्यापन के आधार पर सेवा के अयोग्य पाया जाता है, तो उसे सेवा से बिना किसी पूर्व सूचना के पृथक किया जावेगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय दंड विधान के प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही की जावेगी।

छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं योजना विभाग के पत्र क्र. 977/सी-761/वि./नि./चार/04 दिनांक 27.10.2004 के अनुरूप उन्हें अंशदायी पेंशन योजना की पात्रता होगी। उन्हें सामान्य भविष्य निधि एवं विभागीय भविष्य निधि में सदस्यता की पात्रता नहीं होगी।

आदेशानुसार

(के.के. चद्राकर)
कुलसचिव

रायपुर, दिनांक 07/02/2013

पृ. क्र. 503 /स्था./सा.प्रशा./13
प्रतिलिपि :-

1. श्री देव कुमार किसान, पिता- श्री विदेशी किसान, ग्राम-महापल्ली, पोस्ट-लोईंग, तहसील-जिला- रायगढ़ (छत्तीसगढ़) 496001 को इस निर्देश के साथ कि वे 15 दिवस के भीतर समस्त मूल प्रमाण-पत्रों एवं सिविल सर्जन के स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र के साथ पदभार ग्रहण करें।
2. विभागाध्यक्ष, यूसिक को इस निवेदन के साथ अग्रेषित कि उम्मीदवार के समस्त मूल प्रमाण-पत्रों एवं स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र के सत्यापन के पश्चात ही कार्यभार ग्रहण करावें।
3. वित्त विभाग,
4. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप कुलसचिव (प्रशासन)

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

/ / आदेश / /

क्र. ५९४ /स्था./सा.प्रशा./13

रायपुर, दिनांक 07/02/2013

विभागीय चयन समिति की अनुशंसानुसार श्री गजेन्द्र कुमार वर्मा, पिता- श्री कमलनारायण वर्मा (अनारक्षित वर्ग) को असिस्टेंट बुक बाईंडर के पद पर पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में वेतनमान रु.5200-20200/- + 1900/- ग्रेड वेतन के वेतन बैंड 5680/- + ग्रेड वेतन 1900/- प्रतिमाह पर तथा समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत अन्य भत्तों पर अस्थायी तौर पर उन्हें कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की परीक्षा अवधि पर नियुक्त किया जाता है एवं विश्वविद्यालय के ग्रंथालय में पदस्थ किया जाता है।

यह नियुक्ति अनन्तिम (Provisonal) है तथा उम्मीदवार के चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है। यदि सत्यापन के पश्चात् उम्मीदवार द्वारा उनसे संबंधित जानकारी गलत पाई जाती है एवं उम्मीदवार सत्यापन के आधार पर सेवा के अयोग्य पाया जाता है, तो उसे सेवा से बिना किसी पूर्व सूचना के पृथक किया जावेगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय दंड विधान के प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही की जावेगी।

छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं योजना विभाग के पत्र क्र. 977/सी-761/वि./नि./चार/04 दिनांक 27.10.2004 के अनुरूप उन्हें अंशदायी पेंशन योजना की पात्रता होगी। उन्हें सामान्य भविष्य निधि एवं विभागीय भविष्य निधि में सदस्यता की पात्रता नहीं होगी।

आदेशानुसार


(के.के. चद्राकर)
कुलसचिव

पृ. क्र. ५९९ /स्था./सा.प्रशा./13

रायपुर, दिनांक 07/02/2013

प्रतिलिपि :-

1. श्री गजेन्द्र कुमार वर्मा, पिता- श्री कमलनारायण वर्मा, ग्राम व पोस्ट-गिरौद, (MCF), जिला-रायपुर (छ.ग.) 493113 को इस निर्देश के साथ कि वे 15 दिवस के भीतर समस्त मूल प्रमाण-पत्रों एवं सिविल सर्जन के स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र के साथ पदभार ग्रहण करें।
2. ग्रंथपाल, पं. सुंदरलाल शर्मा ग्रंथालय को इस निवेदन के साथ अग्रेषित कि उम्मीदवार के समस्त मूल प्रमाण-पत्रों एवं स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र के सत्यापन के पश्चात ही कार्यभार ग्रहण करावें।
3. वित्त विभाग,
4. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


उप कुलसचिव (प्रशासन)

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

/ / आदेश / /

क्र. ५४४ /स्था./सा.प्रशा./13

रायपुर, दिनांक 07/02/2013

विभागीय चयन समिति की अनुशंसानुसार श्री अशोक कुमार, पिता- श्री मिट्ठूलाल (अनुसूचित जाति वर्ग) को बुक अटेंडेंट के पद पर पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में वेतनमान रु. 4750-7440/- + 1400/- ग्रेड वेतन के वेतन बैंड 4860/- + ग्रेड वेतन 1400/- प्रतिमाह पर तथा समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत अन्य भत्तों पर अस्थायी तौर पर उन्हें कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की परीक्षा अवधि पर नियुक्त किया जाता है एवं विश्वविद्यालय के ग्रंथालय में पदस्थ किया जाता है।

यह नियुक्ति अनन्तिम (Provisonal) है तथा उम्मीदवार के चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में एवं छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के आदेश क्र. एफ 13-4/2006/आ.प्र./1-3, दिनांक 31 मार्च 2012 के अनुसार आदेश प्रसारित होने की तिथि से दो माह के भीतर अभ्यर्थी द्वारा जाति प्रमाण-पत्र का सत्यापन छानबीन समिति से करवाकर नियोक्ता अधिकारी को सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा। यदि सत्यापन के पश्चात् उम्मीदवार द्वारा उनसे संबंधित जानकारी गलत पाई जाती है एवं उम्मीदवार सत्यापन के आधार पर सेवा के अयोग्य पाया जाता है, तो उसे सेवा से बिना किसी पूर्व सूचना के पृथक किया जावेगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय दंड विधान के प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही की जावेगी।

छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं योजना विभाग के पत्र क्र. 977/सी-761/वि./नि./चार/04 दिनांक 27.10.2004 के अनुरूप उन्हें अंशदायी पेंशन योजना की पात्रता होगी। उन्हें सामान्य भविष्य निधि एवं विभागीय भविष्य निधि में सदस्यता की पात्रता नहीं होगी।

आदेशानुसार



(के.के. चद्राकर)

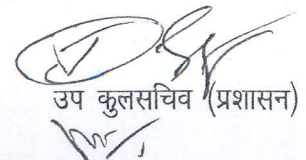
कुलसचिव



रायपुर, दिनांक 07/02/2013

पृ. क्र. ५४९ /स्था./सा.प्रशा./13
प्रतिलिपि :-

1. अशोक कुमार, पिता- श्री मिट्ठूलाल, ग्राम व पोस्ट- पिण्डरी बा.पा., तहसील-सारंगढ़, जिला- रायगढ़ (छत्तीसगढ़) 496450 को इस निर्देश के साथ कि वे 15 दिवस के भीतर समस्त मूल प्रमाण-पत्रों एवं सिविल सर्जन के स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र के साथ पदभार ग्रहण करें।
2. ग्रंथपाल, पं. सुंदरलाल शर्मा ग्रंथालय को इस निवेदन के साथ अग्रेषित कि उम्मीदवार के समस्त मूल प्रमाण-पत्रों एवं स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र के सत्यापन के पश्चात् ही कार्यभार ग्रहण करावें।
3. वित्त विभाग,
4. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



उप कुलसचिव (प्रशासन)

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

/ / आदेश / /

क्र. 490 /स्था./सा.प्रशा./13

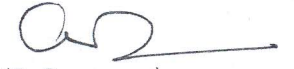
रायपुर, दिनांक 07/02/2013

विभागीय चयन समिति की अनुशंसानुसार श्री आशीष राजपूत, पिता- श्री पवन राजपूत (अनारक्षित वर्ग) को म्यूजियम अटेंडेंट के पद पर पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में वेतनमान रु.5200-20200/- + 1800/- ग्रेड वेतन के वेतन बैंड 5200/- + ग्रेड वेतन 1800/- प्रतिमाह पर तथा समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत अन्य भत्तों पर अस्थायी तौर पर उन्हें कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की परीक्षा अवधि पर नियुक्त किया जाता है एवं विश्वविद्यालय के जैविकी अध्ययनशाला में पदस्थ किया जाता है।

यह नियुक्ति अनन्तिम (Provisonal) है तथा उम्मीदवार के चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है। यदि सत्यापन के पश्चात् उम्मीदवार द्वारा उनसे संबंधित जानकारी गलत पाई जाती है एवं उम्मीदवार सत्यापन के आधार पर सेवा के अयोग्य पाया जाता है, तो उसे सेवा से बिना किसी पूर्व सूचना के पृथक किया जावेगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय दंड विधान के प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही की जावेगी।

छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं योजना विभाग के पत्र क्र. 977/सी-761/वि./नि./चार/04 दिनांक 27.10.2004 के अनुरूप उन्हें अंशदायी पेंशन योजना की पात्रता होगी। उन्हें सामान्य भविष्य निधि एवं विभागीय भविष्य निधि में सदस्यता की पात्रता नहीं होगी।

आदेशानुसार



(के.के. चंद्राकर)

कुलसचिव



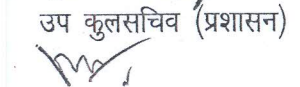
रायपुर, दिनांक 17/02/2013

पृ. क्र. 491 /स्था./सा.प्रशा./13
प्रतिलिपि :-

1. श्री आशीष राजपूत, पिता- श्री पवन राजपूत, नई पुलिस लाइन, दुर्ग, ई/12, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 491001 को इस निर्देश के साथ कि वे 15 दिवस के भीतर समस्त मूल प्रमाण-पत्रों एवं सिविल सर्जन के स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र के साथ पदभार ग्रहण करें।
2. विभागाध्यक्ष, जैविकी अध्ययनशाला को इस निवेदन के साथ अग्रेषित कि उम्मीदवार के समस्त मूल प्रमाण-पत्रों एवं स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र के सत्यापन के पश्चात् ही कार्यभार ग्रहण करावें।
3. वित्त विभाग,
4. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



उप कुलसचिव (प्रशासन)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

/ / आदेश / /

क्र. ५९२ /स्था./सा.प्रशा./13

रायपुर, दिनांक ०७/०२/२०१३

विभागीय चयन समिति की अनुशंसानुसार श्री देवेन्द्र कुमार कौशिक, पिता- श्री खेलन लाल कौशिक (अनारक्षित वर्ग) को पंपमेन अटेंडेंट के पद पर पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में वेतनमान रु.5200-20200/- + 1300/- ग्रेड वेतन के वेतन बैंड 4750/- + ग्रेड वेतन 1300/- प्रतिमाह पर तथा समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत अन्य भत्तों पर अस्थायी तौर पर उन्हें कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त किया जाता है एवं विश्वविद्यालय के यांत्रिकी विभाग में पदस्थ किया जाता है।

यह नियुक्ति अनन्तिम (Provisonal) है तथा उम्मीदवार के चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है। यदि सत्यापन के पश्चात् उम्मीदवार द्वारा उनसे संबंधित जानकारी गलत पाई जाती है एवं उम्मीदवार सत्यापन के आधार पर सेवा के अयोग्य पाया जाता है, तो उसे सेवा से बिना किसी पूर्व सूचना के पृथक किया जावेगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय दंड विधान के प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही की जावेगी।

छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं योजना विभाग के पत्र क्र. 977/सी-761/वि./नि./चार/04 दिनांक 27.10.2004 के अनुरूप उन्हें अंशदायी पेंशन योजना की पात्रता होगी। उन्हें सामान्य भविष्य निधि एवं विभागीय भविष्य निधि में सदस्यता की पात्रता नहीं होगी।

आदेशानुसार



(के.के. चद्राकर)

कुलसचिव

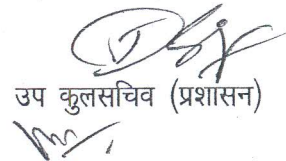


पृ. क्र. ५९३ /स्था./सा.प्रशा./13

रायपुर, दिनांक ०७/०२/२०१३

प्रतिलिपि :-

1. श्री देवेन्द्र कुमार कौशिक, पिता- श्री खेलन लाल कौशिक, ग्राम-पोस्ट-थाना-तहसील, कुरुद, जिला-धमतरी (छत्तीसगढ़) 493663 को इस निर्देश के साथ कि वे 15 दिवस के भीतर समस्त मूल प्रमाण-पत्रों एवं सिविल सर्जन के स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र के साथ पदभार ग्रहण करें।
2. प्रभारी, यांत्रिकी विभाग को इस निवेदन के साथ अग्रेषित कि उम्मीदवार के समस्त मूल प्रमाण-पत्रों एवं स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र के सत्यापन के पश्चात ही कार्यभार ग्रहण करावें।
3. वित्त विभाग,
4. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



उप कुलसचिव (प्रशासन)

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

/ / आदेश / /

क्र. /स्था./सा.प्रशा./13

रायपुर, दिनांक /02/2013

विभागीय चयन समिति की अनुशंसानुसार श्री राजेन्द्र प्रसाद बड़ई, पिता श्री सुखी राम बड़ई (अनुसूचित जनजाति वर्ग) को टेक्नीशियन ग्रेड-II के पद पर पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में वेतनमान रु.5200-20200/- + 2400/- ग्रेड वेतन के वेतन बैंड 7440/- + ग्रेड वेतन 2400/- प्रतिमाह पर तथा समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत अन्य भत्तों पर अस्थायी तौर पर उन्हें कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त किया जाता है एवं विश्वविद्यालय के यूसिक विभाग में पदस्थ किया जाता है।

यह नियुक्ति अनन्तिम (Provisonal) है तथा उम्मीदवार के चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में एवं छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के आदेश क्र. एफ 13-4/2006/आ.प्र./1-3, दिनांक 31 मार्च 2012 के अनुसार आदेश प्रसारित होने की तिथि से दो माह के भीतर अभ्यर्थी द्वारा जाति प्रमाण-पत्र का सत्यापन छानबीन समिति से करवाकर नियोक्ता अधिकारी को सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा। यदि सत्यापन के पश्चात् उम्मीदवार द्वारा उनसे संबंधित जानकारी गलत पाई जाती है एवं उम्मीदवार सत्यापन के आधार पर सेवा के अयोग्य पाया जाता है, तो उसे सेवा से बिना किसी पूर्व सूचना के पृथक किया जावेगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय दंड विधान के प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही की जावेगी।

छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं योजना विभाग के पत्र क्र. 977/सी-761/वि./नि./चार/04 दिनांक 27.10.2004 के अनुरूप उन्हें अंशदायी पेंशन योजना की पात्रता होगी। उन्हें सामान्य भविष्य निधि एवं विभागीय भविष्य निधि में सदस्यता की पात्रता नहीं होगी।

आदेशानुसार



(के.के. चद्राकर)

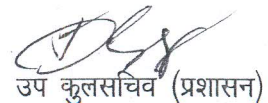
कुलसचिव

पृ. क्र. /स्था./सा.प्रशा./13

रायपुर, दिनांक /02/2013

प्रतिलिपि :-

1. श्री राजेन्द्र प्रसाद बड़ई, श्री सुखीराम बड़ई, ग्राम-मुढ़िया, पोस्ट-सुरेगाँव, तहसील-डौंडी लोहारा, जिला-संजारी बालोद (छत्तीसगढ़) को इस निर्देश के साथ कि वे 15 दिवस के भीतर समस्त मूल प्रमाण-पत्रों एवं सिविल सर्जन के स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र के साथ पदभार ग्रहण करें।
2. विभागाध्यक्ष, यूसिक को इस निवेदन के साथ अग्रेषित कि उम्मीदवार के समस्त मूल प्रमाण-पत्रों एवं स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र के सत्यापन के पश्चात ही कार्यभार ग्रहण करावें।
3. वित्त विभाग,
4. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



उप कुलसचिव (प्रशासन)

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

/ / आदेश / /

क्र. 484 /स्था./सा.प्रशा./13

रायपुर, दिनांक 07/02/2013

विभागीय चयन समिति की अनुशंसानुसार श्री बालगोविन्द नायक, पिता श्री रामखिलावन नायक (अनारक्षित वर्ग) को टेक्नीशियन ग्रेड-II के पद पर पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में वेतनमान रु.5200-20200/- + 2400/- ग्रेड वेतन के वेतन बैंड 7440/- + ग्रेड वेतन 2400/- प्रतिमाह पर तथा समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत अन्य भत्तों पर अस्थायी तौर पर उन्हें कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की परीक्षा अवधि पर नियुक्त किया जाता है एवं विश्वविद्यालय के यूसिक विभाग में पदस्थ किया जाता है।

यह नियुक्ति अनन्तिम (Provisonal) है तथा उम्मीदवार के चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है। यदि सत्यापन के पश्चात् उम्मीदवार द्वारा उनसे संबंधित जानकारी गलत पाई जाती है एवं उम्मीदवार सत्यापन के आधार पर सेवा के अयोग्य पाया जाता है, तो उसे सेवा से बिना किसी पूर्व सूचना के पृथक किया जावेगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय दंड विधान के प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही की जावेगी।

छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं योजना विभाग के पत्र क्र. 977/सी-761/वि./नि./चार/04 दिनांक 27.10.2004 के अनुरूप उन्हें अंशदायी पेंशन योजना की पात्रता होगी। उन्हें सामान्य भविष्य निधि एवं विभागीय भविष्य निधि में सदस्यता की पात्रता नहीं होगी।

आदेशानुसार


(के.के. चंद्राकर)

कुलसचिव

पृ. क्र. 485 /स्था./सा.प्रशा./13
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक 07/02/2013

1. श्री बालगोविन्द नायक, पिता- श्री रामखिलावन नायक, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, क्वा.नं.-बी-51, साई मंदिर के पास, कोटा, रायपुर (छ.ग.) 492010 को इस निर्देश के साथ कि वे 15 दिवस के भीतर समस्त मूल प्रमाण-पत्रों एवं सिविल सर्जन के स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र के साथ पदभार ग्रहण करें।
2. विभागाध्यक्ष, यूसिक को इस निवेदन के साथ अग्रेषित कि उम्मीदवार के समस्त मूल प्रमाण-पत्रों एवं स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र के सत्यापन के पश्चात ही कार्यभार ग्रहण करावें।
3. वित्त विभाग,
4. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


उप कुलसचिव (प्रशासन)

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

/ / आदेश / /

क्र. 500 /स्था./सा.प्रशा./13

रायपुर, दिनांक 07/02/2013

विभागीय चयन समिति की अनुशंसानुसार श्री कमलेश चन्द्राकर, पिता- श्री रामस्वरूप चन्द्राकर (अनारक्षित वर्ग) को इलेक्ट्रीशियन के पद पर पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में वेतनमान रु.5200-20200/- + 1900/- ग्रेड वेतन के वेतन बैंड 5680/- + ग्रेड वेतन 1900/- प्रतिमाह पर तथा समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत अन्य भत्तों पर अस्थायी तौर पर उन्हें कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की परीक्षा अवधि पर नियुक्त किया जाता है एवं विश्वविद्यालय के यांत्रिकी विभाग में पदस्थ किया जाता है।

यह नियुक्ति अनन्तिम (Provisonal) है तथा उम्मीदवार के चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है। यदि सत्यापन के पश्चात् उम्मीदवार द्वारा उनसे संबंधित जानकारी गलत पाई जाती है एवं उम्मीदवार सत्यापन के आधार पर सेवा के अयोग्य पाया जाता है, तो उसे सेवा से बिना किसी पूर्व सूचना के पृथक किया जावेगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय दंड विधान के प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही की जावेगी।

छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं योजना विभाग के पत्र क्र. 977/सी-761/वि./नि./चार/04 दिनांक 27.10.2004 के अनुरूप उन्हें अंशदायी पेंशन योजना की पात्रता होगी। उन्हें सामान्य भविष्य निधि एवं विभागीय भविष्य निधि में सदस्यता की पात्रता नहीं होगी।

आदेशानुसार



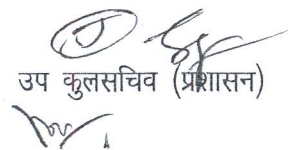
(के.के. चन्द्राकर)

कुलसचिव

पृ. क्र. 501 /स्था./सा.प्रशा./13
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक 07/02/2013

1. श्री कमलेश चन्द्राकर, पिता- श्री रामस्वरूप चन्द्राकर, विवेकानंद विद्यापीठ रामकृष्ण परमहंस नगर, कोटा, रायपुर (छ.ग.) 492010 को इस निर्देश के साथ कि वे 15 दिवस के भीतर समस्त मूल प्रमाण-पत्रों एवं सिविल सर्जन के स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र के साथ पदभार ग्रहण करें।
2. प्रभारी, यांत्रिकी विभाग को इस निवेदन के साथ अग्रेषित कि उम्मीदवार के समस्त मूल प्रमाण-पत्रों एवं स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र के सत्यापन के पश्चात ही कार्यभार ग्रहण करावें।
3. वित्त विभाग,
4. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



उप कुलसचिव (प्रशासन)

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

/ / आदेश / /

क्र. 511 /स्था./सा.प्रशा./13

रायपुर, दिनांक 07/02/2013

विभागीय चयन समिति की अनुशंसानुसार श्री विजय कुमार ध्रुव, पिता- स्व. श्री सुंदर लाल ध्रुव (अनारक्षित वर्ग) को लाइब्रेरी अटेंडेंट के पद पर पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में वेतनमान रु.5200-20200/- + 1800/- ग्रेड वेतन के वेतन बैंड 5200/- + ग्रेड वेतन 1800/- प्रतिमाह पर तथा समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत अन्य भत्तों पर अस्थायी तौर पर उन्हें कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की परीक्षा अवधि पर नियुक्त किया जाता है एवं विश्वविद्यालय के फार्मसी संस्थान में पदस्थ किया जाता है।

यह नियुक्ति अनन्तिम (Provisonal) है तथा उम्मीदवार के चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है। यदि सत्यापन के पश्चात् उम्मीदवार द्वारा उनसे संबंधित जानकारी गलत पाई जाती है एवं उम्मीदवार सत्यापन के आधार पर सेवा के अयोग्य पाया जाता है, तो उसे सेवा से बिना किसी पूर्व सूचना के पृथक किया जावेगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय दंड विधान के प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही की जावेगी।

छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं योजना विभाग के पत्र क्र. 977/सी-761/वि./नि./चार/04 दिनांक 27.10.2004 के अनुरूप उन्हें अंशदायी पेंशन योजना की पात्रता होगी। उन्हें सामान्य भविष्य निधि एवं विभागीय भविष्य निधि में सदस्यता की पात्रता नहीं होगी।

आदेशानुसार


(के.के. चंद्राकर)

कुलसचिव

पृ. क्र. 512 /स्था./सा.प्रशा./13
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक 07/02/2013

1. श्री विजय कुमार ध्रुव, पिता- स्व. श्री सुंदर लाल ध्रुव, कपड़ा मार्केट के पीछे, दुर्गा नगर, पंडरीतराई, रायपुर (छत्तीसगढ़) 492004 को इस निर्देश के साथ कि वे 15 दिवस के भीतर समस्त मूल प्रमाण-पत्रों एवं सिविल सर्जन के स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र के साथ पदभार ग्रहण करें।
2. विभागाध्यक्ष, फार्मसी संस्थान को इस निवेदन के साथ अग्रेषित कि उम्मीदवार के समस्त मूल प्रमाण-पत्रों एवं स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र के सत्यापन के पश्चात् ही कार्यभार ग्रहण करावें।
3. वित्त विभाग,
4. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


उप कुलसचिव (प्रशासन)